



2026:AHC:12053

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 7824 वर्ष 2022

अरविन्द कुमार

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उ. प्र. राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता	:	दुर्वेश कुमार, प्रभाकर अवस्थी, सौरभ त्रिपाठी
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता	:	सी. एस.सी.

एवं अन्य सम्बंधित वाद

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. श्री प्रभाकर अवस्थी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, जिनकी सहायता श्री दुर्वेश कुमार, श्री ऋषभ केशवरवानी और श्री देवेश मिश्रा ने की, तथा मुख्य और संबंधित रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, और राज्य की ओर से विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एस.के. पाल को सुना।
2. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा एक संयुक्त बयान दिया गया है कि वे कोई अतिरिक्त शपथ-पत्र प्रस्तुत करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं, और यह रिट याचिका अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ही तय की जाए।
3. पक्षकारों की सहमति से, रिट याचिका का निर्णय प्रवेश स्तर पर ही किया जा रहा है।
4. चूंकि रिट याचिकाओं के इस समूह में विधि के सामान्य प्रश्न अंतर्निहित हैं, अतः इनका निर्णय एक संयुक्त आदेश द्वारा किया जा रहा है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. रिट याचिकाकर्ताओं का वाद यह है कि उन्होंने अलग-अलग सालों में उ. प्र. परिषद से माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की है। याचिकाकर्ता स्नातक भी हैं। 19.04.2006 को वरिष्ठ अधीक्षक, जेल के कार्यालय से एक अधिसूचना/विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें *बंदी रक्षक* (जेल वार्डर) के पद के लिए आवेदन मांगे गए थे। याचिकाकर्ताओं ने खुद को हर तरह से पूरी तरह योग्य और काबिल बताते हुए इसके तहत आवेदन किया। रिट याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने किसी भी समय इस संबंध में खेल कोटे के तहत कोई वरीयता नहीं मांगी थी। रिट याचिकाकर्ताओं को अलग-अलग तारीखों पर नियुक्त किया गया और उनकी नौकरी पक्की भी कर दी गई। हालाँकि, 11.02.2015 को उप-निरीक्षक, पुलिस, निगरानी ने रिट याचिकाकर्ताओं के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की, जो कथित तौर पर भादसं की धारा 218, 420, 467, 468, 471 और 120ख के तहत, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(घ) और 13(2) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा के तहत थी; इस प्राथमिकी की संख्या 0047 वर्ष 2015 थी। इसके बाद, अलग-अलग तारीखों पर कारण बताओ सूचना जारी की गयी, जिनमें रिट याचिकाकर्ताओं से पूछा गया कि उनकी नियुक्ति निरस्त क्यों न की जाए और उनकी सेवाएँ समाप्त क्यों न कर दी जाएँ, क्योंकि उन्होंने दस्तावेजों में हेराफेरी करके धोखाधड़ी की थी। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने एक आवेदन जमा किया था, जिसमें कुछ दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की गई थी, ताकि वे कारण बताओ सूचना का प्रभावी ढंग से जवाब दे सकें। मुख्य रिट याचिका में शामिल रिट याचिकाकर्ता ने 31.01.2022 को कुल 13 दस्तावेजों की मांग की थी। रिट याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उनके 31.01.2022 के आवेदन में क्रम संख्या 7 से 13 तक के कुछ दस्तावेज तो उपलब्ध करा दिए गए, लेकिन बाकी दस्तावेज नहीं दिए गए; याचिकाकर्ताओं को यह उम्मीद थी कि वे दस्तावेज, जिनके आधार पर कारण बताओ सूचना जारी की गयी थी, उन्हें ज़रूर दिए जाएँगे। हालाँकि, 08.02.2022 को एक अंतिम सूचना जारी की गयी, जिसमें याचिकाकर्ताओं से कहा गया कि वे अपना जवाब जमा करें, अन्यथा उनकी नियुक्ति के आदेश निरस्त कर दिए जाएँगे। मुख्य रिट याचिका में रिट याचिकाकर्ता ने 18.02.2022 की तारीख वाला एक पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उन दस्तावेजों को उपलब्ध कराने की मांग की गई थी जो उन्हें नहीं दिए गए थे, और जिनके आधार पर ही रिट याचिकाकर्ताओं को अयोग्य घोषित किया गया था। हालाँकि, रिट याचिकाकर्ताओं के अनुसार, 16.04.2022 को केंद्रीय जेल, आगरा के वरिष्ठ जेल अधीक्षक द्वारा एक आदेश पारित किया गया, जिसमें रिट याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति निरस्त कर दी गई और उसके परिणामस्वरूप वसूली करने का निर्देश दिया गया।



6. उक्त आदेश को चुनौती देते हुए, मुख्य और संबंधित रिट याचिकाएँ दायर की गईं। मुख्य रिट याचिका में, दिनांक 23.05.2022 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया है:

“याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभाकर अवस्थी तथा प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान ए.सी.एस.सी. को सुना।

यह रिट याचिका, वरिष्ठ जेल अधीक्षक, केन्द्रीय कारगार, आगरा द्वारा दिनांक 16.4.2022 को पारित आक्षेपित आदेश को निरस्त करने के लिए दायर की गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की मूल नियुक्ति निरस्त कर दी गई है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि याचिकाकर्ता ने 13.5.2006 के आवेदन के ज़रिए बंदी रक्षक (जेल वार्डर) के पद के लिए आवेदन किया था और आवेदन में स्तम्भ 7-ग में किसी भी खेल प्रमाण पत्र के संबंध में कोई निशान नहीं लगाया था। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया कि कारण बताओ सूचना जारी होने के बाद, उन्होंने ईमानदारी से स्वीकार किया कि एक आवेदन प्रासंगिक दस्तावेज़, यानी सारणीकरण पत्रक उपलब्ध कराने के लिए दिया गया था, ताकि यह पता चल सके कि याचिकाकर्ता को खेल कोटे के तहत कोई अंक दिए गए थे या नहीं; लेकिन उक्त जानकारी उपलब्ध कराने के बजाय, आक्षेपित आदेश पारित कर दिया गया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया कि याचिकाकर्ता एक स्थायी बंदी रक्षक है और इस प्रकार, उसकी नियुक्ति इस आधार पर निरस्त नहीं की जा सकती। उन्होंने आगे बताया कि उ. प्र. सरकारी सेवक (अनुशासन और अपील) नियमावली, 1999 के नियम 7 के तहत विभागीय जांच का प्रावधान है और उसकी नियुक्ति संक्षिप्त प्रकृति की जांच में निरस्त नहीं की जा सकती।

इस मामले पर विचार-विमर्श की आवश्यकता है।

प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान ए.सी.एस.सी. ने प्रति-शपथ पत्र दाखिल करने हेतु छह सप्ताह का समय मांगा है, और उन्हें यह समय प्रदान किया जाता है।

यदि कोई प्रत्युत्तर शपथ-पत्र हो, तो उसे उसके पश्चात् दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

इस मामले को 18.07.2022 को पुनः नए के रूप में सूचीबद्ध किया जाए।



अगली सुनवाई की तारीख तक, प्रत्यर्थियों को आक्षेपित आदेश के अनुसरण में

याचिकाकर्ता का वेतन वसूलने से रोका जाता है।”

7. प्रत्यर्थियों द्वारा प्रति शपथपत्र दायर किया गया है, जिसके जवाब में प्रत्युत्तर शपथपत्र दायर किया गया है।

8. मुख्य और संबंधित रिट याचिकाओं में रिट याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने यह तर्क देने की कोशिश की है कि उनकी सेवाओं को समाप्त करने, नियुक्ति निरस्त करने और उसके परिणामस्वरूप वसूली करने का आदेश इस सीधे से कारण से कायम नहीं रखा जा सकता कि, जब रिट याचिकाकर्ताओं ने आवेदन के माध्यम से कुछ दस्तावेजों की मांग की थी, तो सबसे पहले वे दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने चाहिए थे; क्योंकि उन दस्तावेजों के बिना, रिट याचिकाकर्ता कोई प्रभावी जवाब देने की स्थिति में नहीं होते। तर्क यह है कि दस्तावेजों को उपलब्ध कराना उन कारकों में से एक है जो मामले में पारदर्शिता को दर्शाता है, और प्रत्यर्थी कुछ दस्तावेजों को उपलब्ध कराते समय और कुछ अन्य दस्तावेजों को उपलब्ध कराने से इनकार करते समय मनमानी नहीं कर सकते। यह भी निवेदन किया गया है कि जिन दस्तावेजों की मांग रिट याचिकाकर्ता ने की थी, वे प्रासंगिक थे और एक उचित जवाब देने के लिए आवश्यक थे। उन्होंने आगे यह भी कहा कि जिन दस्तावेजों की मांग रिट याचिकाकर्ता ने की है, उन्हें गोपनीय दस्तावेज नहीं कहा जा सकता। यह भी तर्क दिया गया है कि रिट याचिकाकर्ता इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि उन्हें वे दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे, जो पहले उपलब्ध नहीं कराए गए थे, और जिनके लिए 18.02.2022 को अनुरोध किया गया था; हालाँकि, दस्तावेजों को उपलब्ध कराने की अनुमति देने या उसे अस्वीकार करने का कोई आदेश पारित किए बिना ही, आक्षेपित आदेश पारित कर दिया गया, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

9. रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रभाकर अवस्थी, जिनकी सहायता श्री दुर्वेश कुमार और श्री ऋषभ केशारवानी ने की, ने अपने मुवक्किल से प्राप्त विशिष्ट निर्देशों के अनुसार यह बयान दिया है कि रिट याचिकाओं में चुनौती दिए गए आदेश को निरस्त करते हुए, रिट याचिकाकर्ता को कारण बताओ सूचना का जवाब देने का अवसर प्रदान किया जाए; और इस न्यायालय द्वारा मामले को वापस भेजे जाने के बाद आदेश पारित होने पर ही, उनकी बहाली और कार्यभार ग्रहण करना उस आदेश के अधीन होगा।

10. श्री एस.के. पाल, जो प्रत्यर्थियों की ओर से पेश हुए विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता हैं, ने यह तर्क दिया है कि जिन आदेशों को चुनौती दी गई है, वे विधि के अनुसार पूरी



तरह से वैध हैं और उनमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती। उनका तर्क यह है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं और इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं द्वारा कुछ छेड़छाड़ भी की गई है। उनके अनुसार, एक कारण बताओ सूचना जारी किया गया था और रिट याचिकाकर्ताओं को उसका जवाब देने का निर्देश दिया गया था; हालाँकि, जवाब देने से बचने के लिए, उन्होंने कुछ ऐसे दस्तावेजों की मांग की जो पूरी तरह से अप्रासंगिक थे, जबकि इस संबंध में जो दस्तावेज महत्वपूर्ण थे, वे रिट याचिकाकर्ताओं को उपलब्ध करा दिए गए थे। फिर भी, कोई भी अंतिम आदेश पारित होने से रोकने के उद्देश्य से, रिट याचिकाकर्ताओं ने जवाब नहीं दिया, बल्कि केवल दस्तावेजों की मांग करते रहे। हालाँकि, उन्होंने यह भी कहा कि इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए, उन्हें याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए इस सुझाव पर कोई आपत्ति नहीं है कि याचिकाकर्ताओं को अपना जवाब प्रस्तुत करने का एक अंतिम अवसर दिया जाए; उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए जवाब पर विचार किया जाएगा और तत्पश्चात इस संबंध में उचित आदेश पारित किया जाएगा।

11. मैंने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्क सुने हैं और अभिलेख का अवलोकन किया है।
12. ज़ाहिर है, मुख्य और संबंधित रिट याचिकाओं में रिट याचिकाकर्ताओं को बंदी रक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था। 11.02.2015 को उ. प्र. सतर्कता विभाग के पुलिस अधीक्षक द्वारा याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भादंसा की धारा 218, 420, 467, 468, 471, 120ख के तहत प्राथमिकी संख्या 0047 दर्ज की गई थी। आरोप यह है कि याचिकाकर्ताओं ने खेल कोटे के तहत अपना दावा पेश किया था। हालाँकि, प्रत्यर्थियों द्वारा की गई जाँच में यह पाया गया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा किया गया दावा झूठा था और उन्होंने एक ऐसा प्रमाण पत्र पेश किया था जो उनके पास कभी था ही नहीं। इसके बाद, एक कारण बताओ सूचना जारी किया गया जिसमें याचिकाकर्ताओं से जवाब माँगा गया। रिट याचिकाकर्ताओं ने कुछ दस्तावेज उपलब्ध कराने की माँग की। उक्त दस्तावेजों में से कुछ याचिकाकर्ताओं को उपलब्ध करा दिए गए। हालाँकि, उन्होंने एक अन्य पत्र के माध्यम से ऐसे दस्तावेज उपलब्ध कराने पर ज़ोर दिया जिसे प्रत्यर्थियों ने स्वीकार्य नहीं माना और इसके परिणामस्वरूप आक्षेपित आदेश पारित कर दिए गए। न्यायालय की राय में, प्रत्यर्थियों से कुछ और भी अपेक्षित था, क्योंकि उन्होंने दस्तावेज उपलब्ध कराने के अनुरोध को अस्वीकार करने का कोई आदेश पारित नहीं किया था; बल्कि, वर्तमान रिट याचिकाकर्ता को यह सूचित किए बिना कि दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं, अंतिम आदेश पारित कर दिया गया, जो कि विधि-सम्मत नहीं है। जैसा कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सुझाव दिया गया और श्री एस.



के. पाल, विद्वान अतिरिक्त मुख्य शासकीय अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया गया कि रिट याचिकाकर्ताओं को कारण बताओ सूचना का जवाब देने का एक अंतिम अवसर दिया जाएगा, अतः यह न्यायालय इस मामले की और अधिक गहराई में जाए बिना, इन रिट याचिकाओं का निस्तारण निम्नलिखित शर्तों पर कर रहा है:

(क) प्रत्यर्थियों द्वारा पारित दिनांक 14.04.2022, 16.04.2022, 04.05.2022, 11.06.2022 और 16.06.2022 के आक्षेपित आदेशों को, मुख्य और संबंधित मामलों सी1 से सी14 में निरस्त किया जाता है। मामले को संबंधित प्राधिकारी के पास वापस भेजा जाता है, ताकि वे नया आदेश पारित कर सकें।

(ख) चूँकि रिट याचिकाकर्ताओं को कारण बताओ सूचना की जानकारी है (क्योंकि इसे रिट याचिका के साथ संलग्न किया गया है), अतः वे **13.02.2026 तक** अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे।

(ग) उक्त जवाब प्रस्तुत किए जाने पर, नियुक्ति प्राधिकारी/सक्षम प्राधिकारी त्वरित डाक, ईमेल और व्हाट्सपप के माध्यम से रिट याचिकाकर्ताओं को सुनवाई की तारीख के बारे में सूचित करेंगे। सुनवाई **मार्च, 2026 के दूसरे सप्ताह में** आयोजित की जाएगी और **उसके दो महीने के भीतर** आदेश पारित किया जाएगा। रिट याचिकाकर्ताओं की बहाली/कार्यभार ग्रहण इस न्यायालय द्वारा रिमांड के बाद पारित किए जाने वाले नए आदेशों पर निर्भर करेगी।

(घ) चूँकि यह आदेश याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और श्री एस.के. पाल, विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता की उपस्थिति में पारित किया गया है, अतः यह माना जाएगा कि उन्हें आज इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पूर्ण जानकारी है।

(ङ) आज पारित आदेश का लाभ रिट याचिकाकर्ताओं को केवल तभी प्राप्त होगा, जब वे निर्धारित समय-सीमाओं का पालन करेंगे और आदेश की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं करेंगे।

13. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, सभी रिट याचिकाओं का निस्तारण किया जाता है।

जनवरी 14, 2026

आर. एस. तिवारी

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)